**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)**

सं. 2003/सी ई-I/मिस/3 नई दिल्ली, दिनांक : 15-7-2003

प्रेषित

संलग्न सूची 'क' के अनुसार

विषय : भारतीय रेलों पर उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की सिफारिश.

रेल मंत्रालय ने बोर्ड के 16.9.2002 के आदेश सं. ई आर बी-I/2002/23/44 के द्वारा भारतीय रेलों पर आपदा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करने, इसे सुदृढ़ तथा सुप्रवाही बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें 111 सिफारिशें की गई थी जिसे सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है. इन सिफारिशों में से इस समिति की एक सिफारिश (क्र.सं. 29) यह है कि "सभी चालू लाइन/निर्माण संबंधी सिविल इंजीनियरी के करारों अथवा रेलपथ से संबंधित निर्माण कार्यों में एक खंड अवश्य शामिल किया जाए कि ठेकेदारों के वाहनों तथा उपस्करों का इस्तेमाल, उन दुर्घटनाओं/प्राकृतिक आपदाओं के मामले में जिनमें जाल माल की हानि हुई हों, रेल प्रशासन द्वारा किया जा सकता है.'

उपर्युक्त सिफारिश को लागू करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित कार्रवाई तत्काल की जाए:

(i) उच्च स्तरीय समिति की उपर्युक्त सिफारिश को संविदा करार में एक विशेष शर्त के रूप में शामिल किया जाए. भुगतान के प्रयोजनों के लिए, इस मद को मौजूदा मानदंडों तथा रेलों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, एक गैर-अनुसूची (एन एस) मद के रूप में सम्पादित किया जाए; और

(ii) कार्यरत ठेकेदारों के पास उपलब्ध उपस्करों के संबंध में एक डाटा बेस तैयार रखा जाए और इसे प्रत्येक मंडल तथा निर्माण कार्यालय में रखा जाए जिसका इस्तेमाल उन गाड़ी दुर्घटनाओं/प्राकृतिक आपदाओं, जिनमें जान माल की हानि हुई हो, में किया जा सकता है. यह डाटा बेस रेलों की सुरक्षित बैवसाइट पर भी रखा जाए जिसे रेलवे के संबंधित

कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. लेकिन, केवल प्राधिकृत कर्मचारी ही इसमें बदलाव करने के लिए समर्थ होने चाहिए.

इसे रेल मंत्रालय के संबंधित वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

प्रमोद कुमार

(प्रमोद कुमार)
कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरी (जी)
रेलवे बोर्ड

RB/C.E/7/2003

# GOVERNMENT OF INDIA
# MINISTRY OF RAILWAYS
# (RAILWAY BOARD)

.....

No.2003/Cls-I/Misc./3

New Delhi, the .7.2003.

To,

As per list 'A' attached.

**Sub: Recommendation of high level Committee on Disaster Management over Indian Railways.**

.....

Ministry of Railways vide Board's Order No.ERB-I/2002/23/44 dated 16-9-2002 set up a high level Committee to review, strengthen and streamline the Disaster Management System on Indian Railways. The Committee has since submitted its report containing 111 recommendations which have been accepted by the Government (Ministry of Railways). One of the recommendations (S.No.29) of the Committee is **"All Open Line/Construction Civil Engineering Agreements or track related works must include a clause that vehicles and equipment of contractors can be drafted by Railway Administration in case of accidents/natural calamities involving human lives".**

In order to implement the above recommendation it has been decided by Board that following action may be taken immediately :-

(i) The above recommendation of the High Level Committee should be included as a special condition in the contract agreement. For payment purposes, the item may be operated as a **Non-Schedule (NS)** item as per the existing norms and powers delegated to the Railways; and

(ii) A data base should be kept ready in respect of the equipments available with the working contractors which can be used in train accidents/natural calamities involving human lives in each Division and Construction Office. This data base may also be kept on Railway's secured website which can be accessed by the concerned officials of the Railways. However, only authorized officials should be able to edit the same.

This issues with the concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.

(Parmod Kumar)
Executive Director Civil Engineering(G)
Railway Board.